भागीरथ बनाम मध्य प्रदेश राज्य

[2018] 12 एससीआर. 604

भागीरथ

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील सं. 2009 की 2301)

23 अक्टूबर, 2018

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीशगण]

दंड संहिता, 1860–धारा 300 का अपवाद 4 –बिना पूर्व–विचार के अचानक लड़ाई में हुई मौत– अभियोजन का मामला यह था कि पीड़ित अपीलार्थी–अभियुक्त और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों से घिरा हुआ था–पीड़ित और अपीलार्थी–अभियुक्त के बीच एक मौखिक झगड़े में, पीड़ित के कान के पास खोपड़ी के दाईं ओर एक फरसी का प्रहार अभियुक्त–अपीलार्थी द्वारा किया गया था–यह आरोप लगाया गया था कि अन्य अभियुक्तों ने भी चोटें पहुंचाई थीं–पीड़ित की मृत्यु हो गई–विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी–अभियुक्त को धारा 302 भा.द.वि. और अन्य सभी अभियुक्तों को धारा 302 सहपठित 149 , के लिए दोषी ठहराया– और उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई –उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की–हालाँकि, अन्य सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया–अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:मृतक को लगी चोटें उसके और अभियुक्त पक्ष के बीच अचानक हुई लड़ाई का परिणाम थीं–कोई पूर्वधारणा नहीं थी–अपीलार्थी–अभियुक्त ने मृतक के सिर पर फरसी प्रहार से एक चोट पहुंचाई थी जिससे संकेत मिलता है कि अपीलार्थी ने मृतक का अनुचित लाभ नहीं उठाया था–जिस तरह से घटना हुई और मृतक को चोट लगी –धारा 300 का अपवाद 4 आकर्षित हुआ।– इस प्रकार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 304–I भा.द.वि. संशोधित किया गया। और सजा भुगती गई अवधि तक बदली गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1. अभियोजन पक्ष का मामला पीडब्लू–6 एक घायल चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर आधारित है, जिसने मृतक और आरोपी पक्ष के बीच झगड़े के बारे में गवाही दी है।पीडब्लू–6 ने अपीलार्थी द्वारा मृतक के कान के पास सिर के दाईं ओर फरसी से प्रहार करने के बारे में भी बताया है।जब पीडब्लू–6 ने मृतक को बचाने की कोशिश की, तो पीडब्लू–6 को भी दाहिने हाथ में चोटें आईं।घटना में पीडब्लू–6 भी घायल हो गया था जो पीडब्लू–2–डॉक्टर के चिकित्सा साक्ष्य और गवाही द्वारा समर्थित है।पीडब्लू–6 घायल चश्मदीद गवाह होने के कारण, उनका साक्ष्य उच्च स्तर का है।पीडब्लू–6 के शरीर पर चोटों की उपस्थिति उसकी गवाही कि विश्वसनीयता को दर्शाती है। घायल चश्मदीद गवाह (पीडब्लू–6) की गवाही पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

2. आई. पी. सी. की धारा 300 का चौथा अपवाद बिना पूर्व–चिंतन के अचानक लड़ाई में की गई मौत से संबंधित है।अचानक लड़ाई का अर्थ है पूर्व–चिंतन की अनुपस्थिति।वर्तमान मामले में, चूंकि मृतक

को लगी चोट मृतक और आरोपी पक्ष के बीच अचानक लड़ाई में लगी थी।कोई पूर्वधारणा नहीं थी।मृतक के सिर पर फरसी प्रहार से एक चोट लगी थी जो इंगित करती है कि अपीलार्थी ने मृतक का अनुचित लाभ नहीं उठाया है।जिस तरह से घटना और मृतक को लगी चोट धारा 300 के अपवाद 4 को आकर्षित करती है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग–। के तहत संशोधित किया जाता है और सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर दिया जाता है।

अब्दुल सईद बनाम एम. पी. राज्य **(2010) 10 एस. सी. सी 259: [2011] 12 एस. सी. आर. 718– संदर्भित।**

संदर्भित न्याय निर्णयन

[2011] 12 एससीआर 718 से संदर्भित पैरा 6

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2009 की आपराधिक अपील संख्या 2301 2007 की आपराधिक अपील संख्या 309 में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, इंदौर की खंडपीठ के दिनांक 12.01.2009 के निर्णय और आदेश से।

पी. सी. अग्रवाल, सीनियर अधिवक्ता, अंबुज अग्रवाल, नितिन सिंह, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, बी. एन. दुबे, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया, द्वारा

आर. भानुमति,न्यायाधीश 1.यह अपील आपराधिक अपील संख्या 309/2007 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न होती है और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने और उस पर लगाए गए आजीवन कारावास की भी पुष्टि की है।

2. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 19.08.2005 को लगभग रात्री 10:00 बजे मृतक–भेरूलाल अपीलार्थी–भागीरथ (फरसी से लैस) और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों (बरी होने के बाद) मंगू, संगीता बाई, सुमा बाई और रामकुंवर से घिरा हुआ था।कहा जाता है कि मृतक और अपीलार्थी–अभियुक्त के बीच जुबानी जंग में भागीरथ ने कान के पास खोपड़ी के दाहिने हिस्से में फरसी प्रहार किया था।जब पीडब्लू–6 (रामचंद्र) ने मृतक को बचाने की कोशिश की तो उसके भी दाहिने हाथ में चोटें आईं।इसके अलावा, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अन्य सभी अभियुक्तों (बरी होने के बाद) ने भी मृतक–भेरूलाल को चोट पहुँचाई।विवेचना पूरी होने पर, अपीलार्थी–अभियुक्त और अन्य अभियुक्तों पर आई. पी. सी. की धारा 148/325/302 सहपठित धारा 149 भा.द.वि. के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

3. घायल चश्मदीद गवाह (पीडब्लू–6) के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता–आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और अन्य अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 149 के साथ धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है और उन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई भा.द.वि. की धारा 149 के साथ पठित धारा 325 के तहत दोषसिद्धि के लिए, उन्हें एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी–अभियुक्त की दोषसिद्धि और उपरोक्त कारावास की सजा की पुष्टि की।जहाँ तक अन्य सह–अभियुक्तों का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उन सभी को यह मानते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ आरोप उचित संदेह से परे स्थापित नहीं किए गए हैं।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी. सी. अग्रवाल के साथ–साथ मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी को सुना है और विवादित फैसले और अभिलेख पर सामग्री का भी अध्ययन किया है।

6. अभियोजन पक्ष का मामला पीडब्लू–6 (रामचंद्र) के साक्ष्य पर आधारित है, जो एक घायल चश्मदीद गवाह है, जिसने मृतक–भेरूलाल और आरोपी पक्ष के बीच झगड़े के बारे में गवाही दी है। पीडब्लू–6 ने अपीलार्थी–भागिरथ द्वारा मृतक के कान के पास सिर के दाईं ओर फरसी प्रहार करने के बारे में भी बताया है।जब पीडब्लू–6 ने मृतक–भेरूलाल को बचाने की कोशिश की, तो पीडब्लू–6 (रामचंद्र) को भी दाहिने हाथ में चोटें आईं।पीडब्लू–6 भी घटना में घायल हो गया था जो पीडब्लू–2 (डॉ. सी. एस. गंगराडे) की गवाही एवं चिकित्सा साक्ष्य द्वारा समर्थित है ।पीडब्लू–6 घायल चश्मदीद गवाह होने के कारण, उसका साक्ष्य उच्च स्तर का है पीडब्लू–6 के शरीर पर चोटों की उपस्थिति उसकी गवाही को विश्वसनीय बनाता है (देखिएःअब्दुल सईद बनाम एम. पी. राज्य (2010) 10 एस. सी. सी 259)।घायल चश्मदीद गवाह (पीडब्लू–6) की गवाही पर अविश्वास करने का हमें कोई ठोस कारण नहीं मिलता है।

7. उच्च न्यायालय ने अन्य सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया, क्योंकि घातक प्रहार अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा किया गया है।विचाराधीन प्रश्न अपराध की प्रकृति से संबंधित है।जैसा कि पहले बताया गया है, यह घटना रात्री लगभग 10.00 बजे हुई थी, जब आरोपी पक्ष और मृतक के बीच जुबानी जंग हुई थी– PW–6 के साक्ष्य से भी पता चलता है कि उनके बीच झगड़ा हुआ था।झगड़े में, अपीलार्थी–अभियुक्त ने मृतक के सिर के दाहिने हिस्से में 15x2 1⁄2 x 3 सेंटीमीटर की चोटें पहुंचाई हैं। हालाँकि मृतक पर एक और चोट पाई गई थी, लेकिन यह दाहिने गले के निचले हिस्से में 10x2 सेमी माप वाली एक चोट थी। आई. पी. सी. की धारा 300 का चौथा अपवाद बिना पूर्व–चिंतन के अचानक लड़ाई में की गई मौत से संबंधित है।अचानक लड़ाई का अर्थ है पूर्व–चिंतन की अनुपस्थिति।यहां तक कि पीडब्लू–6 के साक्ष्य के अनुसार, एक मौखिक झगड़ा हुआ था और उस झगड़े में अपीलार्थी ने मृतक के सिर पर फरसी प्रहार किया था। इस प्रकार मृतक और आरोपी पक्ष के बीच अचानक हुई लड़ाई में मृतक को लगी चोटों के रूप में।कोई पूर्वचिंतन नहीं था।मृतक के सिर पर फरसी प्रहार से एक चोट लगी थी जो इंगित करती है कि अपीलार्थी ने मृतक का अनुचित लाभ नहीं उठाया है।जिस तरह से घटना हुई और मृतक को लगी चोट धारा 300 के अपवाद 4 को आकर्षित करती है।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को आई. पी. सी. की धारा 304 भाग–। के तहत संशोधित किया जाता है और सजा को पहले से गुजर चुकी अवधि तक कम कर दिया जाता है।

8. परिणामस्वरूप, आई. पी. सी. की धारा 304 भाग–1 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को संशोधित किया जाता है और अपीलार्थी की सजा को घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया जाता है।अपीलार्थी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है यदि किसी अन्य मामले में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

9. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार की गई